बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग
–:: संकल्प ::–

श्रीमती गजाला शहाना, तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गया सम्प्रति प्रभारी प्राचार्य महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बक्सर के विरूद्ध 'निंदन' एवं 'प्रोन्नति पर सदा के लिए रोक' की शास्ति अधिरोपित करने के संबंध में।

श्रीमती गजाला शहाना, तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गया सम्प्रति प्रभारी प्राचार्य महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बक्सर आदेश की अवहेलना, श्रीमती आशा कुमारी, डी०टी०पी०पो० संविदा अनुदेशक से असंवैधानिक भाषा का प्रयोग करने, अनधिकृत रूप से संस्थान से अनुपस्थित रहने एवं त्रिसदस्यीय जाँच समिति के साथ असहयोग तथा दुर्व्यव्यवहार करने के आरोप में विभागीय अधिसूचना संख्या–3665 दिनांक–29.12.2017 द्वारा तत्काल प्रभाव निलंबित की गईं एवं उनका मुख्यालय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दीघाघाट, पटना निर्धारित किया गया।

2. निलंबन के पश्चात श्रीमती गजाला शहाना को साक्ष्य सहित आरोप प्रपत्र पत्र की प्रति उपलब्ध कराते हुए स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्रीमती शहाना द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई एवं उनके विरूद्ध आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने के कारण उन्हें निलंबन से मुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया। श्रीमती गजाला शहाना विभागीय अधिसूचना संख्या–14 दिनांक–28.05.2018 द्वारा निलंबन से मुक्त की गईं तथा विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1229 दिनांक–30.05.2018 द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ की गयी। श्री सतीश कुमार शाही, अवर सचिव, श्रम संसाधन विभाग इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी तथा श्रीमती आशा सिंह, सहायक निदेशक, प्रशिक्षण (शिक्षु), औ०प्र० संस्थान, दीघाघाट, पटना प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त की गई।

3. अवर सचिव–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–105 दिनांक–14.01.2019 से विभागीय कार्यवाही का प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी ने श्रीमती गजाला शहाना के विरूद्ध गठित पाँच आरोपों में से आरोप संख्या–01, 02, 03 तथा 04 को प्रमाणित होने का तथा आरोप संख्या–05 को पुष्टि नहीं होने का मंतव्य दिया है। श्रीमती गजाला के विरूद्ध गठित आरोप तथा संचालन पदाधिकारी का निष्कर्ष निम्नरूपेण हैः–

(i) श्रीमती गजाला के आरोप संख्या–01 यह है कि उन्होंने अपने पत्र ज्ञापांक–184 दिनांक–22.09.2017 द्वारा निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण के पूर्वानुमति के बिना श्रीमती आशा कुमारी, D.P.T.O संविदा अनुदेशिका, महिला आई०टी०आई०, गया को कार्य मुक्त कर दिया। निदेशालय द्वारा श्रीमती गजाला से स्पष्टीकरण की मांग की गई एवं श्रीमती आशा कुमारी से पूर्व की भाँति कार्य लेने का आदेश दिया गया। परन्तु उन्होंने आदेश का अनुपालन नहीं किया।

संचालन पदाधिकारी का निष्कर्ष है कि श्रीमती गजाला शहाना द्वारा निदेशालय के पत्रांक–2370 दिनांक–09.10.20017 द्वारा दिये गये आदेश की अवहेलना की गई। संविदा निदेशक के नियुक्ति प्राधिकार निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना है अतः बिना नियुक्ति प्राधिकार के पूर्वानुमति के श्रीमती आशा कुमारी को विरमित नहीं किया जाना चाहिए था। आरोप संख्या–01 प्रमाणित है।

(ii) आरोप संख्या–02 यह है कि उनके द्वारा निदेशालय को सूचित किया गया कि संस्थान में D.P.T.O व्यवसाय को बंद करने के कारण इस ट्रेड में नामांकन शून्य है एवं अनुदेशक की आवश्यकता नहीं है। दूसरी तरफ उन्होंने अपने पत्रांक–86 दिनांक–29.03.2017 द्वारा कार्य मूल्यांकन प्रतिवदेन में श्रीमती आशा कुमारी के कार्य को संतोषप्रद बताया।

संचालन पदाधिकारी का मंतव्य है कि निदेशालय के पत्रांक–625 दिनांक–16.03.2015 द्वारा राजकीय महिला औ०प्र० संस्थान, गया में पूर्व से संचालित D.P.T.O व्यवसाय को इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय में परिवर्द्धित किया गया फिर भी आरोपित पदाधिकारी को D.P.T.O अनुदेशिका श्रीमती आशा कुमारी से इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय का कार्य लिया जाने लगा जो DGT के नॉर्म्स के विपरीत था तथा इसी आधार पर अवधि विस्तार हेतु अनुशंसा भी की गई तथा उसे

पुनः उनके पत्रांक–184 दिनांक–22.09.2017 द्वारा इसकी आवश्यकता नहीं दर्शाते हुए विरमित कर दिया गया जो कि अपने आप में अनियमितता एवं लापरवाही का द्योतक है। आरोप संख्या–02 प्रमाणित है।

(iii) आरोप संख्या–03 यह है कि श्रीमती आशा कुमारी एवं मो० शदाब रेयाज, अतिथि अनुदेशक के बीच दिनांक–31.07.2017 को संस्थान में घटी अशोभनीय घटना के दिन अनधिकृत रूप से अनुपस्थित थीं।

संचालन पदाधिकारी ने मंतव्य दिया है कि घटना के दिन अपनी उपस्थिति के संबंध में जो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है उसके श्रीमती गजाला के हस्ताक्षर एवं तिथि पर ओवरराईटिंग है। इस साक्ष्य की प्रमाणिकता संदिग्ध है। पत्र दिनांक–01.08.2017 को श्रीमती आशा कुमारी को पत्र प्राप्त कराया गया है। आरोप संख्या–03 प्रमाणित है।

(iv) श्रीमती गजाला के विरूद्ध चौथा आरोप यह है कि निदेशालय के पत्रांक–2370 दिनांक–09.10.2017 के अनुपालन में जब श्रीमती आशा कुमारी ने उनसे उपस्थिति पंजी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया तो उनके द्वारा असंवैधानिक भाषा का प्रयोग करते हुए उपस्थिति पंजी नहीं दी गई।

संचालन पदाधिकारी ने गवाह श्रीमती पुनम कुमारी, कनीय लिपिक के बयान के आधार पर श्रीमती गजाला द्वारा असंवैधानिक भाषा के प्रयोग के आरोप को प्रमाणित नहीं माना है परन्तु यह उल्लेख किया है निदेशालय के पत्रांक–2370 दिनांक–09.10.2017 के द्वारा आरोपित पदाधिकारी को पूर्व की भाँति श्रीमती आशा कुमारी से कार्य लेने का आदेश दिया गया तो आरोपित पदाधिकारी (प्रभारी प्राचार्य) को उपस्थित दर्ज करने हेतु उपस्थिति पंजी मुहैया करायी जानी चाहिए थी जो कि उनके द्वारा नहीं किया गया। यह उनके स्वेच्छाचारिता को दर्शाता है।

(v) श्रीमती गजाला शहाना के विरूद्ध पाँचवा आरोप यह है कि निदेशालय के पत्रांक–2266 दिनांक–25.10.2017 के आलोक में गठित त्रिसदस्यीय जाँच समिति के सदस्यों के साथ उनका व्यवहार असहयोगात्मक एवं दुर्व्यवहारपूर्ण रहा। संचालन पदाधिकारी ने समिति के अध्यक्ष श्री मोहन तांती, क्षेत्रीय निरीक्षी पदाधिकारी, पटना द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान मौखिक रूप से कुछ भी नहीं कहने तथा आरोपित पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों के

आधार पर यह मंतव्य दिया है कि श्रीमती शहाना के विरूद्ध आरोप संख्या–05 की पुष्टि नहीं होती है।

4. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की सक्षम प्राधिकार द्वारा समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरान्त नैसर्गिक न्याय के तहत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(3) के आलोक में श्रीमती गजाला को विभागीय पत्रांक–313 दिनांक–04.02.2019 से जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए उनसे बचाव बयान की मांग की गई। बचाव बयान अप्राप्त रहने पर स्मार पत्रांक–708 दिनांक–25.03.2019, पत्रांक–1086 दिनांक–14.05.2019, पत्रांक–1480 दिनांक–26.06.2019 तथा पत्रांक–2042 दिनांक–27.08.2019 स्मारित भी किया गया। उपर्युक्त पत्रों में से अंतिम दोनों स्मार पत्र विभाग को बिना तामिला के वापस लौट आये। तदोपरान्त् लिखित अभिकथन समर्पित करने के लिए दिनांक–31.12.2019 को इस आशय का प्रेस विज्ञप्ति निर्गत किया गया कि श्रीमती गजाला शहाना सात दिनों के अन्दर बचाव बयान समर्पित करें नहीं तो उनके विरूद्ध एकपक्षीय निर्णय ले लिया जायेगा। परन्तु श्रीमती गजाला द्वारा बचाव बयान समर्पित नहीं किया गया। इस बीच श्रीमती गजाला शहाना विभागीय अधिसूचना संख्या–68 दिनांक–29.06.2019 द्वारा 'पदस्थापन की प्रतिक्षा में' (मुख्यालय म०औ०प्र० संस्थान, दीघाघाट, पटना) से प्रभारी प्राचार्य महिला औ० प्र० संस्थान, बक्सर के पद पर पदस्थापित की गई परन्तु इनके द्वारा उक्त अधिसूचना के आलोक में न तो प्रभार ग्रहण किया गया एवं न ही बचाव बयान समर्पित किया गया। श्रीमती गजाला शहाना द्वारा स्वास्थ खराब होने संबंधी दिनांक–27.06.2019 के हस्ताक्षर से निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण को संबोधित एक आवेदन दिया गया था एवं दिनांक–16.08.2018 से स्वास्थ लाभ होने तक चिकित्सीय अवकाश उपभोग करने की अनुमति की मांग की गयी। अपर मुख्य सचिव के आदेश के आलोक में विभागीय पत्रांक–189 दिनांक–27.01.2020 द्वारा श्रीमती शहाना के चिकित्सा अवकाश की अस्वीकृति की सूचना देते हुए तीन दिनों के अन्दर पदस्थापित स्थल पर योगदान देने का निदेश दिया गया। परन्तु श्रीमती शहाना द्वारा प्रभारी प्राचार्य, म०औ०प्र० संस्थान, बक्सर का प्रभार ग्रहण नहीं किया गया और न लिखित अभिकथन किया।

5. श्रीमती गजाला शहाना के विरूद्ध गठित आरोपों के संबंध में संचालन पदाधिकारी का मंतव्य तथ्यपरक है एवं इससे असहमत होने का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता। संविदा अनुदेश के नियुक्ति प्राधिकार निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना हैं। बिना नियुक्ति प्राधिकार के पूर्वानुमति के श्रीमती आशा कुमारी, संविदा अनुदेश को विरमित करना तथा निदेशालय के पत्रांक–2370 दिनांक–09.10.2017 के आलोक में निहित निदेश की अवहेलना करना अनुशासनहीनता को परिलक्षित करता है। दिनांक–31.07.2007 को श्रीमती आशा कुमारी के साथ मो० शदाब रेयाज द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। इतनी संवेदनशील घटना की सूचना प्राप्त होने के बावजूद भी श्रीमती गजाला शहाना संस्थान में न तो उपस्थित हुई न ही उनके द्वारा कार्रवाई की गई। यह प्रभारी प्राचार्य की अनाधिकृत उपस्थिति, घोर लापरवाही एवं कार्य के प्रति उदासीन्ता का प्रमाण है। इसी प्रकार निदेशालय के पत्रांक–2370 दिनांक–09.10.2017 के अनुपालन में जब श्रीमती आशा कुमारी ने अपनी उपस्थिति दर्ज करने हेतु उपस्थिति पंजी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया तो आरोपित पदाधिकारी द्वारा श्रीमती आशा कुमारी को उपस्थिति पंजी मुहैया कराई जानी चाहिए थी जो उनके द्वारा नहीं किया गया यह कृत्य श्रीमती

गजाला शहाना की स्वैच्छाचारिता को दर्शाता है। इस प्रकार श्रीमती गजाला शहाना के विरूद्ध कई आरोप प्रमाणित होते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि श्रीमती शहाना को विगत एक वर्ष से द्वितीय कारण पृच्छा की उत्तर की मांग की जा रही है परन्तु वे जान बूझकर द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर नहीं कर रही हैं एवं अनुशासनिक प्राधिकार के आदेश की अवहेलना कर रही हैं। फलस्वरूप सक्षम प्राधिकार के द्वारा श्रीमती गजाला शहाना के विरूद्ध (1) निंदन एवं (2) प्रोन्नति पर सदा के लिए रोक की शास्ति अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया।

6. अतएव बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा संशोधित, 2007) के नियम 14 (i) तथा (ii) के आलोक में श्रीमती गजाला शहाना, तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गया सम्प्रति प्रभारी प्राचार्य महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बक्सर के विरूद्ध 'निंदन' एवं 'प्रोन्नति पर सदा के लिए रोक' की शास्ति अधिरोपित किया जाता है। श्रीमती गजाला शहाना को निलंबन अवधि के अंतर्गत मिलने वाले वेतनादि के संबंध में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 11(5) के आलोक में अन्तर्गत पृथक आदेश निर्गत किया जायेगा।

7. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति श्रीमती गजाला शहाना, तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गया (निलंबित एवं निलंबन से मुक्त) सम्प्रति प्रभारी प्राचार्य महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बक्सर को निबंधित डाक से उपलब्ध करायी जाय। साथ ही स्थायी पता– C/O –अब्दुल समीद अंसारी, मोमिन हाई स्कूल के निकट, असांर नगर, जिला– नवादा, बिहार, पिन–805110 पर भी निबंधित डाक से उपलब्ध करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(सूर्यकान्त मणि)
सरकार के उप सचिव
पटना, दिनांक–

ज्ञापांक–6/श्रम वि० आ० (01)– 197/2017 श्र०सं०–

प्रतिलिपि–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो प्रति के साथ बिहार राजपत्र के अगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की 15 (पन्द्रह) अतिरिक्त प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायें।

ह०/–
सरकार के उप सचिव
पटना, दिनांक–

ज्ञापांक–6/श्रम वि० आ० (01)– 197/2017 श्र०सं०–

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–6/श्रम वि० आ० (01)– 197/2017 श्र०सं०– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि–प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै० दा० नि० कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–6/श्रम वि० आ० (01)– 197/2017 श्र०सं०– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– जिला पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–6/श्रम वि० आ० (01)– 197/2017 श्र०सं०– पटना, दिनांक–
निबंधित डाक
प्रतिलिपि– श्रीमती गजाला शहाना, प्रभारी प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–6/श्रम वि० आ० (01)– 197/2017 श्र०सं०– 583 पटना, दिनांक–19/3/2020
प्रतिलिपि–निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण/उप सचिव/अवर सचिव/प्रभारी गोपनीय चारित्री/लोक सूचना पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर/प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा–01), श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/3/2020
सरकार के उप सचिव